



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-209

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 293452 दिनांक 20/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Girraj Singh S/o BHAGWATI SINGH	श्री भगवती सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह	51	284.68 SQ. YARD	Cooperative	GOPI NAGAR SCHEME NO-3	Sub Division and Reconstitution	आवेदक श्री गिर्राज सिंह पुत्र श्री भगवती सिंह द्वारा दी कृष्णा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 की योजना गोपी नगर स्कीम नम्बर-3 के आवासीय भूखण्ड संख्या 51 कुल क्षेत्रफल 284.68 व0ग0 में से (ईस्ट पार्ट) क्षेत्रफल 142.34 व0ग0 का उपविभाजन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। मूल भूखण्ड संख्या 51 कुल क्षेत्रफल 284.68 व0ग0 का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 25.10.2004 को श्री भगवती सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह के नाम जारी किया गया था। अपलोड किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

अनुसार लीजधारक श्री भगवती सिंह की मृत्यु दिनांक 03.12.2025 को हो चुकी है। लीजधारक की मृत्यु उपरांत इनके विधिक वारिस (1) श्रीमती संतोष कंवर पत्नी (2) श्रीमती विमला कंवर पुत्री (3) श्रीमती निर्मला कंवर पुत्री (4) श्री गिराज सिंह पुत्र (5) श्री भुवनेश्वर सिंह पुत्र विधिक वारिस है। लीजधारक के वारिसों क्रमशः श्रीमती संतोष कंवर पत्नी, श्रीमती विमला कंवर एवं श्रीमती निर्मला कंवर पुत्रीया द्वारा अपने-अपने हिस्से को पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 06.04.2026 के माध्यम से श्री गिराज सिंह एवं श्री भुवनेश्वर सिंह पुत्रान् स्व0 श्री भगवती सिंह के हक में जरिये हकत्याग निष्पादित किया गया है। हकत्यागग्रहिता श्री गिराज सिंह एवं भुवनेश्वर सिंह द्वारा मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 284.68 व0ग0 का



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उपविभाजन करते हुए 142.34-142.34 व0ग0 का पृथक-पृथक से उपविभाजन पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है।
---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Girraj Singh S/o BHAGWATI SINGH को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |